भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *110

28.07.2025 को उत्तर के लिए

सीएएमपीए स्कीम के अंतर्गत ओडिशा को जारी धनराशि

***110. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) योजना के अंतर्गत ओडिशा को कितनी धनराशि जारी की गई है और जनवरी 2025 से कंधमाल में वनरोपण के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कंधमाल के आरक्षित वनों की सीमाओं सहित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की अधिसूचना की स्थिति क्या है; और

(ग) कंधमाल में गुमाडी नदी जलग्रहण क्षेत्र में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'सीएएमपीए स्कीम के अंतर्गत ओडिशा को जारी धनराशि' के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण काम्पा द्वारा ओडिशा राज्य प्राधिकरण को वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) 2024-25 के तहत उपयोग हेतु अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण निधि की राशि 1112.92 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) 2025-26 के तहत उपयोग हेतु 984.84 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। कंधमाल संसदीय जिलों में वनीकरण कार्यों हेतु जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक निम्नलिखित वन प्रभागों के माध्यम से 25.68 करोड़ रुपये की निधि का उपयोग निम्नानुसार है :-

प्रभाग का नाम	**पौधरोपण कार्यकलापों (सीए/ पीसीए/ एसीए/ एनपीवी आदि) के तहत जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक जारी की गई कुल निधियां (रुपये करोड़ में)**	**पौधरोपण कार्यकलापों (सीए/ पीसीए/ एसीए/ एनपीवी आदि) के तहत जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक उपयोग की गई कुल निधियां (रुपये करोड़ में)**
1	2	3
बल्लीगुड़ा	6.00	6.00
घुमसूर उत्तर	5.59	5.34
बौध	15.80	10.12
फूलबनी	3.76	3.69
नयागढ़	1.56	0.54
कुल	**32.71**	**25.68**

कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कंधमाल जिले में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईएसजेड के संबंध में दिनांक 25.10.2017 को जारी की गई प्रारूप अधिसूचना की अवधि दिनांक 25.04.2019 को समाप्त हो गई थी और राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कंधमाल में गुमाडी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के तहत ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

*****